झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

राँची,दिनांक– 17/3/23

संचिका संख्या–07/SVS–02–545/2021 1797 /

श्री कुमार नीरज, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल–01, गिरिडीह के विरूद्ध जल जीवन मिशन अन्तर्गत 22 अदद नयी SVS Cluster योजनाओं का निविदा निस्तार एवं FHTC कार्य के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति एवं उदासीनता बरतने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया।

उक्त वर्णित प्रथम द्रष्टता प्रमाणित पाये गये आरोपों के विरूद्ध श्री नीरज से विभागीय पत्रांक–5165 दिनांक–26.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया ।

श्री नीरज, पत्रांक–1407 दिनांक–28.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद के पत्रांक–2047 दिनांक–29.12.2022 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया। अधीक्षण अभियंता समर्पित मंतव्य में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल–01, गिरिडीह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया ।

श्री नीरज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा समर्पित मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गई जिसमें श्री नीरज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये। उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम –14 (iii) के तहत श्री नीरज को दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार नीरज, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल–01, गिरिडीह को दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध कि जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/SVS–02–545/2021 1798 / राँची, दिनांक– 17/3/23

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषनार्थ प्रेषित।

17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\DWSD USER\Desktop\Aarop-4 File\Neyaz\Aarop-4\Rakesh Sir\Adhisuchna\Adhishuchana Letter-07-svs-02-545-2021.docx

ज्ञापांक–07/SVS–02–545/2021......1798......./ राँची, दिनांक–......17/3/23
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।.

ह० 17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/SVS–02–545/2021......1798......./ राँची, दिनांक–......17/3/23
प्रतिलिपिः–मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव /अभियंता प्रमुख /सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव /सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) /अवर सचिव, प्रशाखा–1,4, एवं 7/ सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/SVS–02–545/2021......1798......./ राँची, दिनांक–......17/3/23
प्रतिलिपिः– श्री कुमार नीरज, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल–01 गिरिडीह झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–07/SVS–02–545/2021......1798......./ राँची, दिनांक–......17/3/23
प्रतिलिपिः– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वय (IT), पी०एम०यू०, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

ह० 17/03/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\DWSD USER\Desktop\Aarop-4 File\Weyaz\Aarop-4\Rakesh Sir\Adhisuchna\Adhishuchana Letter-07-svs-02-545-2021.docx